Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014 **दिनांक: 9 अक्टूबर, 2014**

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 40/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय : अध्ययन यात्रा का आयोजन करने से पहले अपनाए जाने वाले मानक सुरक्षा उपाय।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित **मानक सुरक्षा उपायों** को अध्ययन यात्रा से पूर्व एवं पश्चात अनुपालन किया जाना चाहिए:

1. विद्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित यात्रा विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है एवं छात्र द्वारा पंजीकृत पाठ्यचर्या के विषय से संबंधित है।
2. विद्यालय प्रमुख सुनिश्चित करें कि अध्ययन यात्रा पर जाने वाले **सभी विद्यार्थियों को एक पहचान पत्र जारी** किया गया है एवं उन विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विवरण का एक अलग डाटाबेस तैयार किया गया है, जिसमें उनके अभिभावक/लोकल गार्जियन का नाम, घर का पता,मोबाइल, ईमेल पते इत्यादि व्यक्तिगत जानकारी का समावेश हो एवं इसे विद्यार्थी स्वयं भी अपने साथ लेकर जाएं।
3. विद्यालय प्रमुख इस बात को सुनिश्चित करें कि अध्ययन यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक/लोकल गार्जियन से उनके यात्रा पर जाने की लिखित में अनुमति जमा कर दी गई है।
4. संस्था के मुखिया यह सुनिश्चित करें कि इस अध्ययन यात्रा में एक वरिष्ठ अध्यापक उनके साथ रहे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अगर कोई छात्रा अध्ययन यात्रा में भाग ले रही है तब एक महिला अध्यापिका भी अवश्य साथ रहें।
5. अध्ययन यात्रा आरम्भ होने से पूर्व विद्यार्थियों/शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए यात्रा का संक्षिप्त विवरण देने के एवं प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों के विषय में जानकारी देने के लिए एक सार-सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह स्मरण कराया जाना चाहिए कि उन्हें सम्पूर्ण यात्रा के दौरान अध्यापको के आदेशों का पालन करना और सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अति आवश्यक है। यात्रा से पूर्व टीम भावना, अनुशासन तथा जाने वाले उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान तथा सुरक्षा उपायों के विषय में उन्मुखीकरण के लिए उनको जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए।
6. यात्रा पर जाने वाले अध्यापक को, यात्रा किये जाने वाले स्थान के मौसम का पूर्वानुमान और उस स्थान के समाचार प्रसारण की भी जानकारी होनी चाहिए। उसे सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी अवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिये ताकि उनकी देखरेख के साथ प्रभावी रोकथाम के उपचारो की तुरंत व्यवस्था हो सके। सहयात्राशिक्षक अपने साथ यात्रा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण लेकर चलें जैसे **फर्स्ट एड बॉक्स**, **एमरजेंसी फोन नम्बर**, **टार्च इत्यादि।**
7. यदि संभव हो, प्रत्येक सदस्य का **यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा किया जाना चाहिए।** संस्था प्रमुख को यह भी सुनिश्चित करना चहिए कि यदि ऐसी शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जाना है तब जहाँ पर जाना है उस संस्थान की पूर्व अनुमति ले लें ताकि अन्तिम समय में कोई असुविधा न हों।
8. यदि यात्रा किसी सार्वजनिक स्थल, बाँध नगर, पॉवर प्लांट, समुद्र तट पर की जानी है तो संबंधित अधिकारी या जिला मॅजिस्ट्रेट को लिखित सूचना दी जानी चाहिए।

9. यदि शैक्षिक यात्रा पर जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या 10 से अधिक है तब यह आवश्यक है कि लोकल टूर ऑपरेटर अथवा गाइड की व्यवस्था कर लें जो उस स्थान से भली भाँति परिचित हो ताकि वे परिस्थिति के अनुसार सही सलाह अथवा जानकारी दे सके।
10. संस्था प्रमुख यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक प्रतिभागी विद्यार्थी से एक अंडरटेकिग ले ली जाए कि वे यात्रा में संस्था द्वारा बनाए गये सभी नियम कायदों को मानेंगे एवं उनके द्वारा शैक्षिक यात्रा प्रारंभ होने से पहले अपने अभिभावको अथवा लोकल गार्जियन द्वारा अनुमति प्रपत्र भी जमा करा दिया गया है।
11. संस्था के प्रमुख एक अंडरटेकिग लेकर यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी संस्था शैक्षिक यात्रा पर जाने वाले सभी विद्यार्थियों को सहायता की आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेगें।

उपर्युक्त सूचना सभी संबंधित अभिभावको/विद्यार्थियों/अध्यापको के संज्ञान में लायी जानी चाहिए।

आपकी शुभाकांक्षी

हस्ताक्षरित/-
डॉ. साधना पाराशर
निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव

24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक

25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)